भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -1559
दिनांक 29 जुलाई,के लिए प्रश्न 2025

पंजीकृत गौशालाओं की क्षमता

1559 श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्रीमती भारती पारधीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजीकृत गौशालाओं की राज्यवार और जिला-वार विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शिरडी और अहमदनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल संख्या और क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ये पंजीकृत गौशालाएँ परित्यक्त और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और यदि हाँ, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गौशालाओं में भीड़भाड़ और अस्वच्छ परिस्थितियों के मामले सामने आए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गौशालाओं को आवंटित और उपयोग की गई निधि का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए आंबटित निधि के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(च) सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को किस प्रकार सहायता प्रदान की जा रही है; और

(छ) सरकार द्वारा अस्वस्थ पशुओं को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों या गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(सिंह बघेल .पी.एस.प्रो)

क) महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में पंजीकृत गौशालाओं की कुल संख्या 962 है और इनकी क्षमता लगभग 1.50 लाख पशुओं को रखने की है। महाराष्ट्र और शिरडी व अहमदनगर (अहिल्यानगर) लोकसभा क्षेत्रों में जिलेवार पंजीकृत गौशालाओं की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड (राज्य बोर्ड), पशुपालन और डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2792 पंजीकृत गौशालाएँ कार्य कर रही हैं। इन कार्यरत गौशालाओं की राज्य और ज़िलावार क्षमता अनुबंध-II में दी गई है।

ख) संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अंतर्गत, राज्यों को पशुधन संरक्षण के अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 243(ब) (W) नगरपालिकाओं को गोपशु शालाओं और आश्रयों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ प्रदान करता है। राज्य, पंचायतों को आवारा गोपशुओं के लिए कांजी हाउस या गौशालाएँ स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी दे सकते हैं। इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा परित्यक्त और आवारा गोपशुओं की बढ़ती संख्या का रख-रखाव करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित पंजीकृत गौशालाओं की जानकारी नहीं रखी जाती है।

हालाँकि, महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उनके राज्य में पंजीकृत गौशालाएँ सामान्यत: अपनी पूरी क्षमता पर चल रही हैं और गोपशुओं की अचानक बढ़ी हुई संख्या को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में, कार्य कर रही गौशालाओं को परित्यक्त एवं आवारा गोपशुओं हेतु अपनी गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

ग) संबंधित राज्यों द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि
1.	2023-24	शून्य	शुन्य
2.	2024-25	19.22	18.92
	कुल	19.22	18.92

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आबंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वितीय वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि
1	2022-23	252.71	252.71
2	2023-2	167.91	167.91
3	2024-25	249.88	249.88
4	2025-26	505.00	96.86 (मई 2025 तक)

चूँकि यह मामला राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार गौशालाओं की सहायता के लिए कोई कार्यक्रम लागू नहीं कर रही है। हालाँकि, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गौशालाओं सहित मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को सहायता प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा राज्यवार प्रदान की गई निधि **अनुबंध-III** में दी गई है।

ङ. वर्ष 2023 से, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गौशालाओं और पशु कल्याण संगठनों को मान्यता, नवीनीकरण, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और परियोजना मान्यता के लिए आवेदन तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता (जैसे, पशु बचाव, आश्रय, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा और एबीसी अनुदान) जैसे कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदनों की योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। अनुमोदित निधि सीधे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से वितरित की जाती है। आगे की सहायता केवल जीएफआर-19 के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित खाते प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है।

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग पिछले दो वर्षों से "सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना" और "प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये पालन-पोषण अनुदान योजना" नामक दो योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना के अंतर्गत, लाभार्थी गौशालाओं का चयन पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया था। प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये पालन-पोषण अनुदान योजना का संपूर्ण क्रियान्वयन, आवेदन से लेकर पात्र गौशालाओं को अनुदान वितरण तक, ऑनलाइन किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य में, गौशाला प्रबंधन समितियाँ प्रतिदिन गोपशुओं का पंजीकरण करने के लिए जियोटैग्ड मोबाइल ऐप से लैस हैं, जिसका सत्यापन संबंधित (mapped) सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है और फिर जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस प्राधिकार के आधार पर राज्य बोर्ड ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से अनुदान सीधे इन गौशालाओं के बैंक खातों में अंतरित करता है।

च) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) आवारा/घायल/रोगी पशुओं को आश्रय देने के लिए एडब्ल्यूबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजनाओं के आवेदन पत्र और दिशानिर्देश वेबसाइट www.awbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उसके लिए अनुदान वितरण द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, निकटवर्ती पशु औषधालयों के प्रभारी द्वारा संबंधित गौशालाओं को आवश्यकता और शेडयूल के अनुसार नियमित स्वास्थ्य, प्रबंधन और कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को पंजीकृत करने और उन्हें चारा अनुदान प्रदान करने के लिए एक अलग मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड बनाया है। यह राज्य बोर्ड गौशालाओं को प्रतिदिन प्रति गोपशु 40 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान करता है। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियाँ हैं जो इन गौशालाओं और आवारा पशुओं के प्रबंधन में सहायता प्रदान करती हैं।

छ) भीड़-भाड़ वाले इलाकों से गोपशुओं को गौशालाओं में ले जाना शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है। मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अस्वस्थ गोपशुओं को ग्राम पंचायत और शहरी निकायों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार पास की गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

****

अनुबंध -I

महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के साथ पंजीकृत गौशालाएँ

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत गौशालाएं	पाले गए पशु
1	अकोला	35	5,298
2	अहमदनगर	41	6,390
3	अमरावती	56	9,619
4	उपनगरीय मुंबई	1	52
5	कोल्हापुर	13	2,257
6	गडचिरोली	1	25
7	गोंदिया	5	1,447
8	चंद्रपुर	13	3,500
9	छत्रपति संभाजीनगर	51	5,210
10	जलगांव	64	8,165
11	जालना	25	5,995
12	ठाणे	36	6,245
13	धाराशिव	18	1,534
14	धुले	20	3,086
15	नंदुरबार	6	1,084
16	नांदेड़	36	5,553
17	नागपुर	23	6,875
18	नासिक	49	9,794
19	परभनी	41	4,081
20	पालघर	14	3,100
21	पुणे	67	9,225
22	बीड	60	5,816
23	बुलढाना	35	6,454
24	भंडारा	13	1,581
25	मुंबई	5	1,487
26	यवतमाल	35	5,394
27	रत्नागिरि	11	1,649
28	रायगढ़	15	1,028
29	लातूर	17	1,909
30	वर्धा	16	2,787
31	वाशिम	23	2,983
32	सांगली	20	1,368
33	सतारा	18	2,281
34	सिंधुदुर्ग	6	377
35	सोलापुर	46	4,091
36	हिंगोली	27	2,813
	कुल	**962**	**1,40,453**

अनुबंध-II

जिलेवार कार्यरत गौशालाओं की उनकी क्षमता सहित सूची

क्र. सं.	जिले	कार्यरत गौशाला	गौशाला में उपलब्ध गोपशु	गौशाला की क्षमता
1	भोपाल	44	6951	7000
2	राजगढ़	144	15250	15500
3	विदिशा	138	18531	19000
4	रायसेन	63	17029	17500
5	सीहोर	69	7615	8000
6	नर्मदापुरम	37	4616	5000
7	बेतुल	20	1918	2000
8	हरदा	30	5650	6000
9	इंदौर	49	7152	7500
10	आलीराजपुर	4	535	1000
11	बड़वानी	17	1909	2500
12	झाबुआ	12	1363	1500
13	धार	50	12029	13000
14	खरगोन	39	6277	7000
15	खंडवा	30	3677	4000
16	बुरहानपुर	10	842	1000
17	शहडोल	19	2958	3500
18	उमरिया	13	2794	3000
19	डिंडोरी	10	461	1000
20	अनुपपुर	17	1672	2000
21	उज्जैन	86	15767	16000
22	देवास	83	9994	10000
23	रतलाम	46	13773	14000
24	शाजापुर	82	9007	10000
25	आगर मालवा	137	17820	18000
26	मन्दसौर	90	15025	16000
27	नीमच	45	6963	7000
28	सागर	54	16118	17000
29	पन्ना	43	11477	12000
30	छतरपुर	126	10440	11000
31	टीकमगढ़	75	7135	8000
32	निवाड़ी	30	3527	4000
33	दमोह	54	11727	12000
34	जबलपुर	47	7522	8000
35	नरसिंहपुर	62	5459	6000
36	छिंदवाड़ा	22	3563	4000
37	पंधुरना	11	1149	1500
38	सिवनी	51	5501	6000
39	बालाघाट	13	1804	2000
40	मंडला	9	968	1000
41	कटनी	31	3805	4000

42	रीवा	75	19177	20000
43	सीधी	39	2895	3000
44	सिंगरौली	21	3215	4000
45	सतना	63	15428	16000
46	मैहर	35	6636	7000
47	ग्वालियर	42	16013	17000
48	मुरैना	54	14022	15000
49	मऊगंज	64	9957	10000
50	दतिया	65	3904	4000
51	गुना	77	7424	8000
52	भिंड	44	3638	4000
53	शिवपुरी	98	9104	10000
54	श्योपुर	24	3850	4000
55	अशोकनगर	79	7953	8000
	कुल	2792	421169	444500

अनुबंध -III

पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान एडब्ल्यूबीआई द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गौशालाओं सहित एडब्ल्यूबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आश्रय गृह अनुदान		एम्बुलेंस अनुदान	
		कुल AWOs	कुल अनुदान	कुल AWOs	कुल अनुदान
1.	हरियाणा	5	5188629	2	900000
2.	मध्य प्रदेश	2	2169961	2	860594
3.	पंजाब	1	1105711	0	0
4.	राजस्थान	4	3641733	5	2205000
5.	उत्तर प्रदेश	2	2227731	1	450000

क्र. सं.	राज्य	प्राकृतिक आपदा अनुदान		नियमित अनुदान और बचाव गोपशु अनुदान	
		कुल AWOs	कुल अनुदान	कुल AWOs	कुल अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	0	0	4	469800
2	छत्तीसगढ़	0	0	2	162000
3	दिल्ली	0	0	1	600000
4	गुजरात	0	0	12	2616250
5	हरियाणा	1	500000	88	20092050
6	झारखंड	0	0	1	12000
7	महाराष्ट्र	0	0	11	1584600
8	मध्य प्रदेश	0	0	51	6595275
9	पंजाब	0	0	1	150000
10	राजस्थान	0	0	214	29089000
11	तमिलनाडु	0	0	1	60000
12	उत्तराखंड	0	0	4	1245000
13	उत्तर प्रदेश	0	0	195	26473850
14	पश्चिम बंगाल	0	0	2	169200